

**ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024**

भाग - एक

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती रणवीर सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती रमा देवी	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री लव कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री रणदीप सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में भारी अंतर	4.2	5.32
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	10.13
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	1.21
4	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.1	32.31
5	भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	8.2	3.99
6	संविदाकर के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्रोत पर आयकर टी०डी०एस की कटौती न करना	8.3	0.33
7	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	8.4	0.12
8	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं, आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.1	32.31
9	फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान	9.2	7.98
10	आपूर्तिकर्ता के बिलों से वाईड्स (Voids) की कटौती न करना:	9.4	0.46

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/17 से 03/19:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	नवीनतम स्थिति	विवरण
1	3	निर्णित	अंकेक्षण शुल्क ₹5000 की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ 43 पर करने के उपरान्त
2	4.1 से 4.6	अनिर्णीत	

3	5	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
4	6	निर्णित	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन रोकड़ बही के संधारण उपरांत।
5	7	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	8	निर्णित	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15/02/2012 में जारी दिशा-निर्देशों अनुसार।
7	9	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	10	अनिर्णित	
9	11	अनिर्णित	
10	12	निर्णित	ग्राम पंचायत द्वारा भौतिक सत्यापन दिनांक 31-03-2024 को करवा दी गई थी।
11	13	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार कार्रवाई उपरांत।
12	14	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार कार्रवाई उपरांत।
13	15	अनिर्णित	
14	16	निर्णित	अपेक्षित नियमानुसार कार्रवाई उपरांत।
15	17	अनिर्णित	
16	18	अनिर्णित	
17	19	अनिर्णित	
18	20	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

भाग - दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04/02/2025 व 05/02/2025 तथा 10/02/2025 से 14/02/2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास

चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	11/22	05/22
2023-24	-	07/23

“इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना के गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।”

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क (14 वां वित्त आयोग तथा 15 वां वित्त आयोग योजनाओं के ऑनलाइन अंकेक्षण शुल्क सहित) **₹4800** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 181 दिनांक 13-02-2025 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

- 4.1 सचिव, ग्राम पंचायत शाया सनौरा द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर भी दिया गया है:-

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त व्यय (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/General)	403582.48	416699	36491	856772.48	546623.8	310148.68
	अन्य अनुदान	1202957	4924782	0	6127739	4529767	1597972
	कुल	1606539.48	5341481	36491	6984511.48	5076390.8	1908120.68

2023-24	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	310148.68	941117	43725	1294990.68	168223.8	1126766.88
	अन्य अनुदान	1597972.00	3812995.00	0.00	5410967.00	4397666.00	1013301.00
	कुल	1908120.68	4754112	43725	6705957.68	4565889.8	2140067.88

वर्ष	योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	14वां वित्त आयोग (14th FC)	1023286	0	16655	1039941	441642	598299
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1352333	846309	34628	2233270	949050	1284220
	कुल	2375619	846309	51283	3273211	1390692	1882519
2023-24	14वां वित्त आयोग (14th FC)	598299	0	0	598299	362887	235412
	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1284220	476494	33831	1794545	168600	1625945
	कुल	1882519	476494	33831	2392844	531487	1861357

नोट:- 14वें व 15वें वित्त आयोग के अवधि 04/2023 से 04/2024 का अंकेक्षण ऑडिट आनलाईन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है एवं इस से सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं।

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31.03.2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत तथा अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (परिशिष्ट-3)	2140067.88
दिनांक 31/03/2024 को सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत तथा अन्य अनुदान के बैंक खातों अनुसार अन्तशेष (परिशिष्ट-3)	1968534.18
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹2140067.88-₹1968534.18) (परिशिष्ट-3)	171533.7

4.2 ₹5.32 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-3** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹532130.3** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)/5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)/ आपदा राहत कोष (CRF)/ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)/ सेक्टरल डिसेन्ट्रलिजेशन प्लान (SDP)/ विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)/ स्वच्छ भारत मिशन (SBM)/ विकास में जन सहयोग (VMJS)	119772.3
2	इंदिरा आवास योजना (IAY)	37488
3	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAAY)	27188
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	33338
5	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	314344
	कुल	532130.3

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹4.29 लाख की शेष राशि का समाधान न करना:- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न योजनाओं से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹428666 (परिशिष्ट-3)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी, परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं।

क्रम	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (₹)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	114322
2	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	314344
	कुल	428666

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र बैंक खाता "क" (स्वः स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः बैंक खाता "क" का स्वतंत्र संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नियमानुसार स्वः स्त्रोत के आय-व्यय हेतु स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' खोला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अपेक्षित कार्यवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹10.13 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को ₹1013301 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

क्रम संख्या	योजना	दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)
1	सेक्टरल डिसेन्ट्रल्लिज़ेशन प्लान (SDP)	126939
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	83205
3	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	23768
4	इंदिरा आवास योजना (IAY)	37500
5	राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAY)	206612
6	आपदा राहत कोष (CRF)	10000
7	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	23550
8	3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	314344
9	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	114322
10	विकास में जन सहयोग (VMJS)	73061
	कुल	1013301

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹24.37 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹2436567** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	846309	-	846309
2	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	612013	218945	830958
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	613000	146300	759300
	कुल	2071322	365245	2436567

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि अनियमित है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹31.71 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹3170606** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय राशि (₹)	कुल (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	441642	-	441642
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	949050	-	949050
3	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	571000	259958	830958
4	सेक्टरल डिसेन्ट्रलिजेशन प्लान (SDP)	11200	0	11200
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	151546	689958	841504
6	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	96252	0	96252
	कुल	2220690	949916	3170606

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹1.21 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व परिशिष्ट-4 के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि ₹121040 वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 भू-राजस्व के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को राजस्व की अनुवर्ती हानि:-

प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ (II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 के माध्यम से भू-राजस्व की मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार, पटवारी को अपने क्षेत्र की सभी राजस्व संपत्तियों की ढाल बछ (राजस्व आकलन सूची) तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपना होता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को लम्बरदार या किसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली सुनिश्चित करनी होती है। इसके अलावा, उन्हें वार्षिक मांग, संग्रहण, बकाया राशि और अग्रिम भुगतान से संबंधित अभिलेख संधारित करने होते हैं, जो लेखा परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पटवार वृत्त द्वारा तैयार की गई ढाल बछ सूची ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण भू-राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि अधिसूचना में उल्लिखित भू-राजस्व मांग, संग्रहण और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। इस कारण यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सका कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था और कितना बकाया रह गया, जिसकी वसूली भविष्य में लम्बरदार या अन्य एजेंसी के माध्यम से की जा सकती थी। इस लापरवाही के कारण पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ, और आवश्यक अभिलेख भी तैयार नहीं किए गए, जिससे उनकी लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः उपरोक्त राजस्व राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 व्यय

8.1 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹32.31 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर

पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि निम्न तालिका अनुसार व्यय हेतु चयनित मास में ₹3231160 के भुगतान वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नहीं किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹)
1	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय हेतु चयनित मास (मई-2022) में व्यय	2236898
2	वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय हेतु चयनित मास (जुलाई-2022) में व्यय	994262
	कुल	3231160

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.2 ₹3.99 लाख के भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा तथा नियम 47 (1) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल/वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करके निम्न विवरणानुसार ₹399383.52 के भुगतान वाउचर/बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्रम संख्या	योजना	वाउचर/ बिल संख्या	वाउचर / बिल तिथि	कार्य का नाम	बिल राशि (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/2	14-05-2022	नि० बांध कडेच, रि० बावड़ी सनौरा व रि० टैंक मेला	88640
2	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	5THSFC/2022-23/P/4	23-05-22	श्री रणवीर सिंह, उप प्रधान को मानदेय भुगतान	205300
3	मनरेगा	62308	23-11-21	नि० गो सदन ग्राम पटैना जीपी शारा सनौरा	105443.52
				कुल	399383.52

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8.3 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.33 लाख जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना :-

जी०एस०टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एवं वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार से अपेक्षित जी०एस०टी, टी०डी०एस कटौती राशि ₹32536 का विवरण परिशिष्ट-5 व 6 पर दर्ज है।

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹)
1	वर्ष 2022-23 के दौरान अपेक्षित जी०एस०टी, टी०डी०एस की गणना (परिशिष्ट-5)	21852
2	वर्ष 2023-24 के दौरान अपेक्षित जी०एस०टी, टी०डी०एस की गणना (परिशिष्ट-6)	10684
	कुल	32536

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी०एस०टी, टी०डी०एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए

सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.12 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका अनुसार **₹12000** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया।

योजना	वाउचर संख्या	वाउचर तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल राशि (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/2	18-05-22	कार्यालय व्यय	0213/18-05-22	अंश स्टेशनरी	12000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

9 निर्माण कार्य:-

9.1 ₹32.31 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-7** पर दर्ज निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु **₹3231161.55** के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप इन

भुगतानों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 जारी करके सचिव ग्राम पंचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है। अतः अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को ₹7.98 लाख का भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर कुल सामग्री की मात्रा से सम्बंधित ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट- 8** में दर्ज विवरण अनुसार **₹798237** का अनियमित भुगतान किया गया। इस से यह प्रतीत होता है कि या तो निर्माण सामग्री की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई थी या भुगतान प्राप्त मात्रा से अधिक के लिए किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 ₹5.94 लाख के निर्माण कार्यों में भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना बिना करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया की **परिशिष्ट-9** पर दर्ज विवरण अनुसार निर्माण कार्यों में **₹593685** का भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना बिना ही किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु भुगतान कार्य समिति/निगरानी समिति/मेट की सत्यापना उपरांत ही किये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.46 लाख के वाइड्स (Voids) की कटौती न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई जबकि हि०प्र० पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम०एम० से लेकर 20 एम०एम० तक 5% व 25 एम०एम० से लेकर 40 एम०एम० तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम०एम० से लेकर 75 एम०एम० तक 12.5% की दर से वाइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को **परिशिष्ट-10** में दर्ज विवरण अनुसार **₹45972** अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वाइड्स (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करना:-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ई-न्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर पंचायत की चल-अचल सम्पत्ति का ई-न्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 180 दिनांक 13-02-2025 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

- 11 लघु आपति विवरणिका:- लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।
- 12 निष्कर्ष:- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपतियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

28 APR 2025

का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)

सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

2487-2491

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(10) 43/2019 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हि०प्र०।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 APR 2025

28 APR 2025

का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)

सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

परिशिष्ट - 1
पेरा संख्या 4.1, 6.2 व 6.3 में
संदर्भित

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 व 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2022-23	3982158.48	6187790	87774	10257722.48	6467082.8	3790639.68
2023-24	3790639.68	5230608	77556	9098801.68	5097376.8	4001424.88

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्तुत (OWN/ General)	403582.48	416699	36491	856772.48	546623.8	310148.68
14वां वित्त आयोग (14th FC)	1023286	0	16655	1039941	441642	598299
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1352333	846309	34628	2233270	949050	1284220
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	0	612013	0	612013	571000	41013
सेक्टरल डिसेन्ट्रल्लिजेशन प्लान (SDP)	138139	0	0	138139	11200	126939
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	165409	613000	0	778409	151546	626863
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	120020	0	0	120020	96252	23768
इंदिरा आवास योजना (IAY)	37500	0	0	37500	0	37500
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAAY)	206612	0	0	206612	0	206612
आपदा राहत कोष (CRF)	10000	0	0	10000	0	10000
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	23550	0	0	23550	0	23550
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	314344	0	0	314344	0	314344
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	114322	0	0	114322	0	114322
विकास में जन सहयोग (VMJS)	73061	0	0	73061	0	73061
मनरेगा	0	3699769	0	3699769	3699769	0
कुल	3982158.48	6187790	87774	10257722.48	6467082.8	3790639.68

19

सचिव
ग्राम पंचायत शाया सनौरा
विकास खण्ड राजगढ़
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

परिशिष्ट-2
पेश संख्या 4.1, 6.1, 6.2 व 6.3 में
संदर्भित

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	310148.68	941117	43725	1294990.68	168223.8	1126766.88
14वां वित्त आयोग (14th FC)	598299	0	0	598299	362887	235412
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1284220	476494	33830	1794545	168600	1625945
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	41013	218945	0	259958	259958	0
सेक्टरल डिसेन्ट्रलिजेशन प्लान (SDP)	126939	0	0	126939	0	126939
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	626863	146300	0	773163	689958	83205
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	23768	0	0	23768	0	23768
इंदिरा आवास योजना (IAY)	37500	0	0	37500	0	37500
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAV)	206612	0	0	206612	0	206612
आपदा राहत कोष (CRF)	10000	0	0	10000	0	10000
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	23550	0	0	23550	0	23550
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	314344	0	0	314344	0	314344
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	114322	0	0	114322	0	114322
विकास में जन सहयोग (VMJS)	73061	0	0	73061	0	73061
मनरेगा	0	3447750	0	3447750	3447750	0
कुल	3790639.68	5230606	77556	9098801.68	5097376.8	4001424.88

20

संयोजक
ग्राम पंचायत शाया सनौरा
विकास खण्ड राजगढ़
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

परिशिष्ट-3
पैरा संख्या- 4.1, 4.2 व 4.3 में
संदर्भित

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
सम्मान निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, राजगढ़	56310100039	1126766.88	1587062.18	
5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)			0		
आपदा राहत कोष (CRF)			10000		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)			23550		
सेक्टरल डिसेन्ट्रल्लिजेशन प्लान (SDP)			126939		
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)			83205		
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			23768		
विकास में जन सहयोग (VMJS)			73061		
	कुल		1467289.88	1587062.18	-119772.3
14वां वित्त आयोग (14th FC)	एच०डी०एफ०सी बैंक, राजगढ़	50100333253893	235412	225900	
	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शरगौंव	57410101802		37038.5	
	कुल		235412	262938.5	-27526.5
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शरगौंव	57410102359	1625945	1242938	383007
इंदिरा आवास योजना (IAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, राजगढ़	56310100195	37500	12	37488
राजीव आवास योजना/अटल आवास योजना (RAY/AAV)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, राजगढ़	56310112360	206612	233800	-27188
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, राजगढ़	56310113808	114322	147600	-33338
3 राज्य वित्त आयोग (3SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		314344		314344
	महायोग		4001424.88	3474410.68	527014.2


सचिव
ग्राम पंचायत शाया सनौरा
विकास खण्ड राजगढ़
जिला सिरमौर (डि० प्र०)

परिशिष्ट-4
पेश संख्या 7.1 प्रो.
सं. 10

ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सूचना:-

वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या-

274

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर-

100 ₹/प्रति परिवार

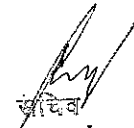
वर्ष 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत में परिवारों की संख्या-

280

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वर्ष गृहकर दर-

100 ₹/प्रति परिवार

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	65640	27400	93040	0	93040
2023-24	93040	28000	121040	0	121040


अधिकारी
ग्राम पंचायत शाया सनौरा
विकास खण्ड राजगढ़
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

4/5

4/5

वर्ष 2022-23 के दौरान अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस की गणना

परिशिष्ट- 5

पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2022-23/P/2	19-05-22	खरीद फर्नीचर, पंचायत घर शायी सनौरा	1055	13-05-22	मॉडर्न फर्नीचर हाउस	फर्नीचर	270000	2%	5400
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/1	14-05-22	रि० पक्की गली शायी व रि० पक्की गली सनौरा	11	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 350 क्यु०फ्री	24000	2%	480
								रेत- 150 क्यु०फ्री	10500	2%	210
					12	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 350 क्यु०फ्री	28000	2%	560
								रेत- 200 क्यु०फ्री	14000	2%	280
					444	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 72 क्यु०फ्री	5037	2%	101
					441	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 300 क्यु०फ्री	21000	2%	420
					442	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 60 क्यु०फ्री	4800	2%	96
					156	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 196 क्यु०फ्री	13420	2%	268
3	मनरेगा		17-05-22	नि० गो सदन ग्राम पटैना जीपी शारा सनौरा	146	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 33.36 क्यु०मी	81732	2%	1635
					147	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 4.42 क्यु०मी	12487	2%	250
								बजरी 20 मि०मी०- 20.23 क्यु०मी	57149	2%	1143
					148	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 40 मि०मी०- 39.685 क्यु०मी	111104	2%	2222
4	मनरेगा		17-05-22	नि० इरी बांध करेची से बगदा	6	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 17 क्यु०मी	17714	2%	354
			17-05-22		7	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	शटरिंग	7860	2%	157
5	मनरेगा		17-05-22	नि० सिंचाई बांध शया से रोरी	2	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 51 क्यु०मी	53142	2%	1063
			17-05-22		3	14-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	शटरिंग	7920	2%	158
6	मनरेगा		17-05-22	नि० बांध शया से सेनौरा	4	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 28 क्यु०मी	29176	2%	584
			17-05-22		5	14-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	शटरिंग	7920	2%	158
7	मनरेगा		17-05-22	नि० पक्की लिंक मार्ग टाइल साहित टिककरी मार्ग	149	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 361 क्यु०फ्री	25270	2%	505
			17-05-22		150	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 50 क्यु०फ्री	4000	2%	80

								बजरी 20 मि०मी०- 159 क्यू०फी	12720	2%	254
		30-05-22		368	11-12-21	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	इंटरलॉक टाइल- 448	11200	2%	224	
		30-05-22		370	11-12-21	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	इंटरलॉक टाइल- 5250	131250	2%	2625	
		30-05-22		371	11-12-21	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	इंटरलॉक टाइल- 5250	131250	2%	2625	
				कुल							21852

Tanuj Saini
(तखण सैनी)
 कनिष्ठ लेखा परीक्षक
 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
 अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
 कैम्प- 5110 पी० शाया सनौदा
 फोन-9736161012

वर्ष 2023-24 के दौरान अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस की
गणना

परिशिष्ट- 6

पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक जोल वार्ड नु० 5	284	09-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
			27-07-23		288	10-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
			27-07-23		292	11-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
			27-07-23		296	12-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
2	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक शाय वार्ड नु० 4	359	21-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
			27-07-23		369	23-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
			27-07-23		376	25-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
			27-07-23		385	26-06-23	आर०एस०एम ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०- 550 कि०ग्रा०	32626	2%	653
3	मनरेगा		27-07-23		43	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 16.01 क्यु०मी	44828	2%	897
			27-07-23		44	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 5.89 क्यु०मी	18554	2%	371
								बजरी 20 मि०मी०- 15.02 क्यु०मी	47313	2%	946
								बजरी 40 मि०मी०- 8.19 क्यु०मी	25798	2%	516
4	मनरेगा		27-07-23		45	13-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 16.01 क्यु०मी	44828	2%	897

23

25

Tal

		27-07-23		46	13-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०-5.89 क्यु०मी	18554	2%	371
							बजरी 20 मि०मी०-15.02 क्यु०मी	47313	2%	946
							बजरी 40 मि०मी०-8.19 क्यु०मी	25798	2%	516
				कुल						10684

Tarun Saini
 (तरुण सैनी)
 कनिष्ठ लेखा परीक्षक
 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
 अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
 कैम्प- जिला प्र० शिवा. सनौरी
 फोन-9736161012

26

निर्माण कार्यो से सम्बन्धी प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं, आदि
प्रस्तुत किये बिना किये गए भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-7

“पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित”

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या/ मस्टर रोल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/1	14-05-22	रि० पक्की गली शायी व रि० पक्की गली सनौरा	11	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 350 क्यु०फ्री	24000
								रेत- 150 क्यु०फ्री	10500
					12	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 350 क्यु०फ्री	28000
								रेत- 200 क्यु०फ्री	14000
					444	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 72 क्यु०फ्री	5037
					441	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 300 क्यु०फ्री	21000
					442	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 60 क्यु०फ्री	4800
					156	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 196 क्यु०फ्री	13420
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/10	14-05-22	पाइपलाइन चुखडीया	82		मस्टररोल भुगतान		9876
3	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/11	14-05-22	बांध कडेच से बागाडा	79		मस्टररोल भुगतान		73360
4	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/2	14-05-22	नि० बांध कडेच, रि० बावडी सनौरा व रि० टैंक मेला					88640
5	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/3	14-05-22	रि० पंचायत घर शायी सनौरा	211	23-03-22	धर्म दास नन्द लाल एंड संस	लकड़ी, टाइल, कील, आदि	17452
6	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/4	14-05-22	रि० गली शायी	85		मस्टररोल भुगतान		18330
7	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/5	14-05-22	रि० गली सनौरा	84		मस्टररोल भुगतान		19950
8	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/6	14-05-22	रि० गली सनौरा	81		मस्टररोल भुगतान		8100
9	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/7	14-05-22	रि० सड़क कोटली	77		मस्टररोल भुगतान		40000
10	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/8	14-05-22	रि० पंचायत घर शायी सनौरा	90		मस्टररोल भुगतान		16920

27

70

11	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/202 2- 23/P/9	14-05-22	रि० पंचायत घर शाया सनौरा	89		मस्टररोल भुगतान		28259
12	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2 022- 23/P/1	18-05-22	खरीद रसोई का सामान, पंचायत घर शाया सनौरा	574	13-05- 22	मैनी हार्डवेयर व स्टील फर्नीचर	बर्तन, आदि	23408
					575	13-05- 22	मैनी हार्डवेयर व स्टील फर्नीचर	बर्तन, आदि	6592
13	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2 022- 23/P/2	18-05-22	कार्यालय व्यय					12000
14	15वां वित्त आयोग (15th FC)	XVFC/2 022- 23/P/2	19-05-22	खरीद फर्नीचर, पंचायत घर शाया सनौरा	1055	13-05- 22	मॉडर्न फर्नीचर हाउस	फर्नीचर	270000
15	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2 022- 23/P/2	23-05-22	रि० छत्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय सनौरा			मस्टररोल भुगतान		39282
16	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	5THSFC /2022- 23/P/4	23-05-22	श्री रणवीर सिंह, उप प्रधान लप मानदेय भुगतान					205300
17	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2 022- 23/P/4	23-05-22	रि० छत्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय सनौरा	211	23-03- 22	धर्म दास नन्द लाल एंड संस	लकड़ी, टाइल, कील, आदि	17452
					310	23-03- 22	धर्म दास नन्द लाल एंड संस	सिलिकॉन शीट्स, जी०आई पाइप, आदि	10366
18	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2 022- 23/P/5	23-05-22	पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को मानदेय भुगतान					137800
19	5वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	5THSFC /2022- 23/P/5	23-05-22	पंचायत प्रधान को मानदेय भुगतान					67500
20	मनरेगा		17-05-22	नि० गो सदन ग्राम पटैना जीपी शारा सनौरा	1293	09-03- 22	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	एंगल- 600 कि०ग्रा०	39996.1
			17-05-22		1297	10-03- 22	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	एंगल- 570 कि०ग्रा०	39124.8
			17-05-22		1306	11-03- 22	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	नालीदार चादर- 25	41949
			17-05-22		1312	13-03- 22	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	चादर , आदि	22313.866
			17-05-22		146	10-12- 21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 33.36 क्यु०मी	81732
			17-05-22		147	10-12- 21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 4.42 क्यु०मी	12487

26

28

702

								बजरी 20 मि०मी०-20.23 क्यु०मी	57149
			17-05-22		148	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 40 मि०मी०-39.685 क्यु०मी	111104
			30-05-22		62308	23-11-21			105443.52
21	मनरेगा		17-05-22	नि० इरी बांध करेची से बगदा	6	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 17 क्यु०मी	17714
			17-05-22		7	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	शटरिंग	7860
22	मनरेगा		17-05-22	नि० सिंचाई बांध शया से रोरी	2	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 51 क्यु०मी	53142
			17-05-22		3	14-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	शटरिंग	7920
23	मनरेगा		17-05-22	नि० बांध शया से सेनौरा	4	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 28 क्यु०मी	29176
			17-05-22		5	14-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	शटरिंग	7920
24	मनरेगा		17-05-22	नि० पक्की लिंक मार्ग टाइल साहित टिक्करी मार्ग	149	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 361 क्यु०फ्री	25270
			17-05-22		150	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०-50 क्यु०फ्री	4000
								बजरी 20 मि०मी०-159 क्यु०फ्री	12720
			30-05-22		368	11-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	इंटरलॉक टाइल	11200
			30-05-22		370	11-12-21	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	इंटरलॉक टाइल-5250	131250
			30-05-22		371	11-12-21	जय गुरु बाबा हार्डवेयर स्टोर	इंटरलॉक टाइल-5250	131250
			30-05-22		62321	08-12-21	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 43	13494.26
25	मनरेगा		12-05-22	नि० पक्की लिंक मार्ग टाइल साहित टिक्करी मार्ग	964	12-05-22	मस्टररोल भुगतान		28620
			12-05-22		964	12-05-22	मस्टररोल भुगतान		3180
			12-05-22		965	12-05-22	मस्टररोल भुगतान		6360

			12-05-22		965	12-05-22	मस्टररोल भुगतान		3180
26	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक जोल वार्ड नु० 5	284	09-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		288	10-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		292	11-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		296	12-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		43	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 16.01 क्यु०मी	44828
			27-07-23		44	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०-5.89 क्यु०मी	18554
								बजरी 20 मि०मी०-15.02 क्यु०मी	47313
								बजरी 40 मि०मी०-8.19 क्यु०मी	25798
			27-07-23		74042	01-07-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट- 216 बैग	81000
27	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक शाया वार्ड नु० 4	359	21-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		369	23-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		376	25-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		385	26-06-23	आर०एस०ए म ट्रेडिंग कं०	सरिया 10 मि०मी०-550 कि०ग्रा०	32626
			27-07-23		45	13-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 16.01 क्यु०मी	44828

28

102

			27-07-23		46	13-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०-5.89 क्यु०मी	18554
								बजरी 20 मि०मी०-15.02 क्यु०मी	47313
								बजरी 40 मि०मी०-8.19 क्यु०मी	25798
			27-07-23		74043	01-07-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सीमेंट-216 बैग	81000
28	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला सुनील पुत्र श्री तुलसी राम शाय	2188	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		6244
29	मनरेगा		21-07-23	नि० पौधारोपण कार्य श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री भीम सिंह गाँव सनौरा	2198	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		6272
			21-07-23		2198	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		25088
			21-07-23		2199	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		3136
			21-07-23		2199	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		6272
30	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला बलदेव रोरी	2200	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		6720
31	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला सुषमा देवी पत्नी सुदर्शन बागड़ा	2204	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		13440
32	मनरेगा		21-07-23	नि० काऊ शेड कल्याण सिंह गाँव धामला	2206	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		3136
			21-07-23		2206	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		21952
33	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला प्रेभा देवी पत्नी मोहन सिंह ग्राम सनौरा	2209	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		2016
			21-07-23		2209	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		2016
34	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला जय राम ग्राम धामला	2211	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		26712
35	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला रामा नंद पुत्र गुलाब सिंह गाँव रोरी	2212	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		11760
			21-07-23		2212	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		11760
36	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला सुंदर सिंह धामला	2214	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		17808

29 21

102

37	मनरेगा		21-07-23	नि० गो शाला शिव लाल नोहरी	2216	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		11872
			21-07-23		2216	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		8904
38	मनरेगा		21-07-23	नि० गो शाला मोहन सिंह पुत्र मस्तिया गांव शाय्या	2218	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		26880
39	मनरेगा		21-07-23	नि० गो शाला भागवती पत्नी राकेश गांव रोरी	2196	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		23520
40	मनरेगा		21-07-23	नि० गो शाला उषा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह ग्राम रोरी	2190	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		6720
			21-07-23		2190	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		23520
41	मनरेगा		21-07-23	नि० डांगा ऑफ वर्क ओम सिंह रोरी	2192	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		1568
			21-07-23		2192	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		7840
42	मनरेगा		21-07-23	नि० एल/डी जुगत राम टिकरी	946	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		2688
			21-07-23		2194	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		1254
			21-07-23		2194	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		11286
43	मनरेगा		21-07-23	नि० डांगा विनोद कुमार धामला	2187	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		4704
			21-07-23		3145	21-07-23	मस्टररोल भुगतान		3180
				कुल					3231161.55

Tarun Saini
 (तरुण सैनी)
 कनिष्ठ लेखा परीक्षक
 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
 अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
 कैम्प- डा० नि० शंती स्मृति
 फोन-9736161012

निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर ठेकेदारों को भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-8

"पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या/ मस्टर रोल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/1	14-05-2022	रि० पक्की गली शाय्या व रि० पक्की गली सनौरा	11	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 350 क्यु०फ्री	24000
								रेत- 150 क्यु०फ्री	10500
					12	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 350 क्यु०फ्री	28000
								रेत- 200 क्यु०फ्री	14000
					444	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 72 क्यु०फ्री	5037
					441	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 300 क्यु०फ्री	21000
					442	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 60 क्यु०फ्री	4800
					156	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी- 196 क्यु०फ्री	13420
2	मनरेगा		17-05-22		146	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 33.36 क्यु०मी	81732
			17-05-22		147	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 4.42 क्यु०मी	12487
								बजरी 20 मि०मी०- 20.23 क्यु०मी	57149
			17-05-22		148	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 40 मि०मी०- 39.685 क्यु०मी	111104
3	मनरेगा		17-05-22	नि० इरी बांध करेची से बगदा	6	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 17 क्यु०मी	17714
4	मनरेगा		17-05-22	नि० सिंचाई बांध शया से रोरी	2	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 51 क्यु०मी	53142
5	मनरेगा		17-05-22	नि० बांध शया से सेनौरा	4	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर- 28 क्यु०मी	29176
6	मनरेगा		17-05-22	नि० पक्की लिंक मार्ग टाइल साहित टिककरी मार्ग	149	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 361 क्यु०फ्री	25270
			17-05-22		150	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 50 क्यु०फ्री	4000
								बजरी 20 मि०मी०- 159 क्यु०फ्री	12720
7	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक जोल वार्ड नुं 5	43	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 16.01 क्यु०मी	44828
			27-07-23		44	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 5.89 क्यु०मी	18554

31

33

		27-07-23					बजरी 20 मि०मी०- 15.02 क्यु०मी	47313
		27-07-23					बजरी 40 मि०मी०- 8.19 क्यु०मी	25798
8	मनरेगा	27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक शायी वार्ड नु० 4	45	13-06- 23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	रेत- 16.01 क्यु०मी	44828
		27-07-23		46	13-06- 23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 5.89 क्यु०मी	18554
		27-07-23					बजरी 20 मि०मी०- 15.02 क्यु०मी	47313
		27-07-23					बजरी 40 मि०मी०- 8.19 क्यु०मी	25798
			कुल					798237

Tarun Saini
 (तरुण सैनी)
 कनिष्ठ लेखा परीक्षक
 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
 अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
 कैम्प- जिला में शायी स्तरी
 फोन-9736161012

32

34

ग्राम पंचायत में व्यय हेतु चयनित मास में मस्टरोल पर किये गए
भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-9

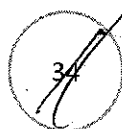
“पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित”

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	दिनांक	बिल राशी (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/10	14-05-22	पाइपलाइन चुखडीया	82	14-05-22	9876
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/11	14-05-22	बांध कडेच से बागाडा	79	14-05-22	73360
3	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/4	14-05-22	रि० गली शाया	85	14-05-22	18330
4	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/5	14-05-22	रि० गली सनौरा	84	14-05-22	19950
5	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/6	14-05-22	रि० गली सनौरा	81	14-05-22	8100
6	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/7	14-05-22	रि० सड़क कोटली	77	14-05-22	40000
7	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/8	14-05-22	रि० पंचायत घर शाया सनौरा	90	14-05-22	16920
8	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/9	14-05-22	रि० पंचायत घर शाया सनौरा	89	14-05-22	28259
9	सामान्य निधि/ स्व: स्तोट (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/2	23-05-22	रि० छत्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय सनौरा		23-05-22	39282
10	मनरेगा		12-05-22	नि० पक्की लिंक मार्ग टाइल सहित टिककरी मार्ग	964	12-05-22	28620
			12-05-22		964	12-05-22	3180
			12-05-22		965	12-05-22	6360
			12-05-22		965	12-05-22	3180
11	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला सुनील पुत्र श्री तुलसी राम शाया	2188	21-07-23	6244
12	मनरेगा		21-07-23	नि० पौधारोपण कार्य श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री भीम सिंह गाँव सनौरा	2198	21-07-23	6272
			21-07-23		2198	21-07-23	25088
			21-07-23		2199	21-07-23	3136
			21-07-23		2199	21-07-23	6272

33 35

22

13	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला बलदेव रोरी	2200	21-07-23	6720
14	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला सुषमा देवी पत्नी सुदर्शन बागड़ा	2204	21-07-23	13440
15	मनरेगा		21-07-23	नि० काऊ शेड कल्याण सिंह गांव धामला	2206	21-07-23	3136
			21-07-23		2206	21-07-23	21952
16	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला प्रेभा देवी पत्नी मोहन सिंह ग्राम सनोरा	2209	21-07-23	2016
			21-07-23		2209	21-07-23	2016
17	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला जय राम ग्राम धामला	2211	21-07-23	26712
18	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला रामा नंद पुत्र गुलाब सिंह गांव रोरी	2212	21-07-23	11760
			21-07-23		2212	21-07-23	11760
19	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला सुंदर सिंह धामला	2214	21-07-23	17808
20	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला शिव लाल नोहरी	2216	21-07-23	11872
			21-07-23		2216	21-07-23	8904
21	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला मोहन सिंह पुत्र मस्तिया गांव शाय्या	2218	21-07-23	26880
22	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला भागवती पत्नी राकेश गांव रोरी	2196	21-07-23	23520
23	मनरेगा		21-07-23	नि० गोशाला उषा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह ग्राम रोरी	2190	21-07-23	6720
			21-07-23		2190	21-07-23	23520
24	मनरेगा		21-07-23	नि० डांगा ऑफ वर्क ओम सिंह रोरी	2192	21-07-23	1568
			21-07-23		2192	21-07-23	7840
25	मनरेगा		21-07-23	नि० एल/डी जुगत राम टिकरी	946	21-07-23	2688
			21-07-23		2194	21-07-23	1254
			21-07-23		2194	21-07-23	11286



34

Tag

26	मनरेगा		21-07-23	नि० डांगा विनोद कुमार धामला	2187	21-07-23	4704
			21-07-23		3145	21-07-23	3180
				कुल			593685

Tarun Saini
 (तरुण सैनी)
 कनिष्ठ लेखा परीक्षक
 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
 अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
 कैम्प- जे.पी. श्याम सुन्दर
 फोन-9736161012

वाइड्स (Voids) की अपेक्षित कटौती का विवरण

परिशिष्ट-10

"पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित"

क्रम	योजना	वाउचर संख्या	वाउचर / भुगतान तिथि	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशी (₹)	अपेक्षित कटौती	कटौती राशी (₹)
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	FFC/2022-23/P/1	14-05-22	रि० पक्की गली शायी व रि० पक्की गली सनौरा	11	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी-350 क्यु०फ़ी	24000	10%	2400
					12	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी-350 क्यु०फ़ी	28000	10%	2800
					442	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी-60 क्यु०फ़ी	4800	10%	480
					156	10-04-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी-196 क्यु०फ़ी	13420	10%	1342
2	मनरेगा		17-05-22		147	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०-4.42 क्यु०मी	12487	5%	624
								बजरी 20 मि०मी०-20.23 क्यु०मी	57149	5%	2857
			17-05-22		148	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 40 मि०मी०-39.685 क्यु०मी	111104	10%	11110
3	मनरेगा		17-05-22	नि० इरी बांध करेची से बगदा	6	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर-17 क्यु०मी	17714	12.50%	2214
4	मनरेगा		17-05-22	नि० सिंचाई बांध शया से रोरी	2	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर-51 क्यु०मी	53142	12.50%	6643
5	मनरेगा		17-05-22	नि० बांध शया से सेनौरा	4	11-03-22	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	पत्थर-28 क्यु०मी	29176	10%	2918
6	मनरेगा		17-05-22	नि० पक्की लिंक मार्ग टाइल साहित टिक्करी मार्ग	150	10-12-21	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०-50 क्यु०फ़ी	4000	5%	200

36

36

36

			17-05-22					बजरी 20 मि०मी०- 159 क्यु०मी	12720	5%	636
7	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक जोल वार्ड नु० 5	44	12-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 5.89 क्यु०मी	18554	5%	928
			27-07-23					बजरी 20 मि०मी०- 15.02 क्यु०मी	47313	5%	2366
			27-07-23					बजरी 40 मि०मी०- 8.19 क्यु०मी	25798	10%	2580
8	मनरेगा		27-07-23	नि० सामुदायिक सिंचाई टैंक शायी वार्ड नु० 4	46	13-06-23	पुजेरा ट्रांसपोर्ट	बजरी 10 मि०मी०- 5.89 क्यु०मी	18554	5%	928
			27-07-23					बजरी 20 मि०मी०- 15.02 क्यु०मी	47313	5%	2366
			27-07-23					बजरी 40 मि०मी०- 8.19 क्यु०मी	25798	10%	2580
				कुल							45972

Tarun Saini

(तरुण सैनी)

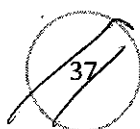
कनिष्ठ लेखा परीक्षक

राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

अंकेक्षण वृत्त सिरमौर

कैम्प- 5110 पं० श्याम शर्मा

फोन-9736161012



39

2

(10.10.10)
10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10

38

40